

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5029]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2018/अग्रहायण 30, 1940

No. 5029]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2018/AGRAHAYANA 30, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6229(अ).—मंत्रालय की प्रारुप अधिसूचना का.आ. 253(अ.), दिनांक 27 जनवरी, 2016 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपित्त या सुझाव सिचव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

समसपुर पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 3.0854 वर्ग किलोमीटर है और यह असंख्य और अनेक प्रकार के प्रवासी और आवासी पिक्षयों के अपने खुले प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है;

7501 GI/2018 (1)

और, पक्षियों के अलावा, अभयारण्य में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया (अकेसिया औरिकृलिफोरमिस), जंगल जलेबी (पिथेसेलोबियम डल्स), यल्लो कैसिया (कैसिया सिमेआ), पर्सिग (मेलिया अज़ादराच), खाबर (फिकस इंफेक्टोरिया), रेड कॉटन ट्री (मोम्बैक्स सीबा), पल्टोफोरम (पल्टोफोरम *फेरुगिन*), सिस्सू (*डलबर्गिया सिस्सू*), ब्रिंगटोनिया (*बैरिंगटोरिया एक्यूटांगुला*), जैकरांडा (*जैकरांडा* ओवलिफोलिया), मध्का (*मध्का इंडिका*), एम्ब्लिका (*फिलांथस एम्ब्लिका*), वसाका (अशोटोडा वासिका), पंवार (कैसियाटोरा), कैलोट्रोपिक (कैलोट्रोपिस प्रोसेरा), कंटकरी (सोलनम एक्सनथोकारपम), कॉकले बर (एक्सनथियम स्टूमैरियम), लुफ्फा (*लुफ्फा अकुतुंगुला*), नेप्टूनिया (*माईमोसेपुडिका*), पास्पालम (*पास्पालम डिस्टिचम*), बर्डस कोरिएनडर (मोलिंगो सर्वियाहा), गोखरु (ट्रिब्युलस टेरेस्ट्रिस), रोरिपा (नास्टर्टियम इंडिकम), चिर्चिटी (साल्सोला *बेरियोस्मा*), माखी (*फिलंथस रेटिकुलाटस*), साल्विनिआ (*साल्विनिआ मोलेस्टा*), स्पिरोदेला (*स्पिरोदेला* पोलिरिज़ा), जुशियाया (जुशियाया रिपेंस) आदि और यहां रहने वाले जीवित प्रजातियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों जैसे कि परपल हेरॉन (आर्देआ परपुरिया), लिटिल बिटरर्न (ल्कसोब्राइचस मिनटस), ब्लैक इबिस (प्लेगाडिस फैलिसनेल्लुस), स्पॉटेड बिल्ड डक (अनास पोसिलोरिन्चा), यूरेशियान विजॉन (अबास पेनेलोप), क्रेस्टेड गोशाक (एसिपिटर ट्रिविरगाटस), ब्लैक फ्रैंकोलिन (फ्रांसोलिनस फ्रैंकोलिनस), वाटर रेल (रैलस एक्वाटियस), लिटिल रिंगेड प्लोवर (चाराड्रियस ड्यूबियस), वुड स्निप (गैलिनागो नेमोरीकोला), रिवर टर्न (स्टर्ना ऑरेंटिया), ग्रेटर क्यूकल (सेंट्रोपस सीनेन्सिस), एशियाई पाल्म स्विफ्ट (साइप्सियुरस बालासीन्सिस), ग्रीन बी-इटर (मरोप्स ओरिएंटलिस), हुपो (*उपूपा एपॉप्स*), लांग टेल्ड श्राइक (*लैनियस स्कैच*), बार विंगड फ्लाईकैचर श्राइक (*हेमिपस पिकाटस*), ग्रीन मुनिया (अमांडावा फॉर्मोसा), ऑलिव बैक्ड पाइपिट (एंथस रुफुलिस), स्ट्राइटेड बाब्बलर (टर्डोइड्स इरलेई), थिक बिल्ड फ्लॉवर पिकर (डिक्यूम अगिले), बाया वीवर (प्लोसस फिलिपिनस) आदि शामिल हैं और विभिन्न जीवों सहित ग्राउंड श्रेव (सनकस मुरियस), जंगली बिल्ली (फेलिस चॉस), फिशिंग कैट (प्रियोनैलुरुस विवेरिनस), लोमड़ी (वृल्प्स बेंगलेंसिस), कॉमन येलो बैट (स्कॉटोफिलस हेथी), नोक्टूले बैट (निक्टुल्स नक्ट्ला), श्री स्ट्रीपड पाल्म गिलहरी (फुनांबुलुस पाल्मारुम), ब्लू बुल (बोसेलाफस ट्रागोकामेलस), साइक्लोप (साइक्लोप्स एसपी.), साइप्रिस (कर्सपी एसपी.), प्रेयिंग-मंटिस (*मंटिस एसपी.*), गनाट (*सिमुलियम इक्विनियम*), वाटर स्कोरपिओन बिच्छु (*पैनोरपा* कम्यूनिस), डुंग बीटल (मेलियोकॉक्सप्रिस एसपी.), लार्ज कारपेंटर (मेगाचाइल सेंट्यून्यूलिरस), लेसर ज़ेबरा (पी मैकरेयस इंडिकस), वेनिंग जे (ग्राफियम बाथकल्स चिरॉन), क्लासी टाइगर (पैरांटिका एग्लेला मेलानोइड), टाइगर ब्राउन (ओरिनोमाडामारिस), पैंथर (न्यूरोसियोमा डबलेडी डबलेडेयी) आदि हैं;

और, समसपुर पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में समसपुर पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को समसपुर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका

विवरण निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विस्तार समसपुर पक्षी अभयारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 22.84 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) समसपुर पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विस्तार **उपाबंध !** में दिया गया है।
- (3) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण और संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र उपाबंध II के रूप में संलग्न है।
- (4) समसपुर पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** के सारणी **क** और **ख** में दी गई है।
- (5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची भू-निर्देशांकों के साथ मुख्य अवस्थान **उपाबंध**IV के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-

- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप बनाई जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजनायें पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जायेगी, अर्थात्:-
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन;
 - (iii) शहरी विकास;
 - (iv) पर्यटन;
 - (v) नगरपालिका;
 - (vi) राजस्व;
 - (vii) कृषि;
 - (viii) उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
 - (ix) सिंचाई; और
 - (x) लोक निर्माण विभाग।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

- (5) आंचलिक महायोजना में वन-रिहत और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी। जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जायेंगें।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के पैरा 4 में तालिका में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के किए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा।
- (8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा तथा पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- (10) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि निगरानी के अपने कर्तव्यों का इस अधिसूचना के अनुसार निवर्हन कर सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) भू-उपयोगः

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा मनोरंजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:

- i. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;
- ii. बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;
- iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- iv. कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग और पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह-वास; और

v. संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जायेगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के सुधार में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

- (ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी तथा क्षेत्रों में या आसपास के क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन:

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।
- (घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे,:-
 - (i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिजार्टों की स्थापना पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।
 - (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।
 - (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तिवक स्थल विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये

होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

- (4) प्राकृतिक विरासत पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक स्थापत्य संबंधी सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार किया जाएगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जायेगा -
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय समय पर यथासंशोधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा :-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि

340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन: पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय -समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) सड़क-यातायात: सड़क यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचिलक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचिलक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (15) **वाहन जिंत प्रदूषण:-** वाहन जिंत प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।
- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:
 - (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी।
 - (ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी			
(1)	(2)	(3)			
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप					
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की ईकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है;			
		(ख) खनन क्रियाकलाप, टी एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम			
		भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल)			
		सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन			
		बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका			
		(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।			
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना हैं।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी।			
		जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।			
3.	नई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।			
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।			
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।			
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।			
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।			
		मित क्रियाकलाप			
8.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिजार्ट अनुज्ञात नही होंगे।			

	T	
	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या
9.	साममाणाक्रयाकलापा	(क) सराक्षत क्षेत्र का सामा स एक किलामाटर के मातर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
		परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि:-
		(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
		(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना;
		(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना;
		(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डारों और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और
		(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप ।
		परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद पैदा करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।

	T	
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	प्लास्टिक बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जायेंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्नाव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपिशष्ट जल/बिहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपिशष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपिशष्ट जल/ बिहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक दोहन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	। ग. संवधि	र्गत क्रियाकलाप
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागवानी और जड़ी-बूटियों का वृक्षारोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी सिमिति :- केंद्रीय सरकार, अंतिम अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी सिमिति का इस अधिसूचना के तीन माह के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली	अध्यक्ष;
(ii)	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायबरेली	सदस्य;
(iii)	लोक निर्माण विभाग का कार्यपालक अभियंता, रायबरेली	सदस्य;
(iv)	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	जिला कृषि अधिकारी, रायबरेली	सदस्य;
(viii)	वन्यजीव वार्डन, संकटापन्न प्रजाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य;
(ix)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला रायबरेली	सदस्य;
(x)	उप वन संरक्षक, हरदोई	सदस्य- सचिव।

6. निर्देश निबंधन.-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और तत्पश्चात निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) निगरानी सिमिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
- (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के

सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।

- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकता अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/159/2015-ईएसजेड-आरई] डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

समसपुर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

संरक्षित क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर:

1- अतौलाबाद ग्राम	कृषि भूमि
2- नेतरामपुर ग्राम	सार्वजनिक क्षेत्र
3- करेमुआ ग्राम	सार्वजनिक क्षेत्र
4- विसैया ग्राम	कृषि भूमि

दक्षिण:

1-	रोहनिया ग्राम	सार्वजनिक क्षेत्र
2-	सैदपुर ग्राम	कृषि भूमि
3-	हौकगंज ग्राम	कृषि भूमि
4-	गोदवाहासनपुर ग्राम	सार्वजनिक क्षेत्र

पूर्व :

1-	ममुनी ग्राम	सार्वजनिक क्षेत्र
2-	गोसाई का परवा ग्राम	सार्वजनिक क्षेत्र

 3- शिव सेवक का पुरवा ग्राम
 कृषि भूमि

 4- नरीपर ग्राम
 सार्वजिनक क्षेत्र

 5- पकसरावन ग्राम
 सार्वजिनक क्षेत्र

पश्चिम :

1- हरिकिशनपुर ग्राम कृषि भूमि
 2- टिकरा ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र
 3- कुशाल पुरवा ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा (01 किलोमीटर सीमा)

उत्तर :

1- अतौलाबाद ग्राम कृषि भूमि
 2- नेतरामपुर ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र
 3- करेमुआ ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र
 4- विसैया ग्राम कृषि भूमि

दक्षिण:

1- रोहनिया ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र
 2- सैदपुर ग्राम कृषि भूमि
 3- हौकगंज ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र
 4- गोदवाहासनपुर ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र

पूर्व :

1- ममुनी ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र
 2- गोसाई का पुरवा ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र
 3- शिव सेवक का पुरवा ग्राम कृषि भूमि
 4- नरीपर ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र


5- पकसरावन ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र

पश्चिम :

1- हरिकिशनपुर ग्राम कृषि भूमि
 2- टिकरा ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र
 3- कुशाल पुरवा ग्राम सार्वजनिक क्षेत्र

<u>उपाबंध-II</u>

अक्षांश और देशांतर के साथ समसपुर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: समसपुर पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र. सं.	बिंदु	अक्षांश			देशांतर		
	_	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	1	25	58	43.30	81	24	45.50
2	2	25	58	37.90	81	24	19.20
3	3	25	58	34.50	81	24	22.60

		<u> </u>	<u> </u>				
4	4	25	58	33.30	81	24	28.30
5	5	25	58	26.70	81	24	35.70
6	6	25	58	23.30	81	24	27.10
7	7	25	58	24.10	81	24	19.50
8	8	25	58	16.00	81	24	13.10
9	9	25	58	25.72	81	24	3.78
10	10	25	58	27.80	81	23	53.30
11	11	25	58	30.50	81	23	47.70
12	12	25	58	38.70	81	23	38.50
13	13	25	58	48.10	81	23	33.90
14	14	25	58	56.09	81	23	32.44
15	15	25	59	6.90	81	23	26.20
16	16	25	59	16.00	81	23	21.10
17	17	25	59	24.71	81	23	11.54
18	18	25	59	50.48	81	23	59.67
19	19	25	59	56.92	81	23	0.45
20	20	26	00	4.03	81	23	2.26
21	21	26	00	7.27	81	22	59.43
22	22	26	59	58.21	81	22	16.97
23	23	25	00	0.31	81	21	57.66
24	24	26	00	10.59	81	21	47.56
25	25	26	00	20.43	81	21	40.02
26	26	26	00	25.69	81	21	38.00
27	27	26	00	33.43	81	21	36.27
28	28	26	00	42.06	81	21	35.50
29	29	26	00	59.89	81	21	53.34
30	30	26	00	31.40	81	21	57.13
31	31	26	00	28.60	81	22	25.40
32	32	26	00	34.50	81	22	39.40
33	33	26	00	40.65	81	22	51.27
34	34	26	00	32.91	81	23	1.80
35	35	26	00	23.40	81	23	13.87
36	36	26	00	17.11	81	23	31.68
_							

37	37	26	00	7.64	81	23	48.30
38	38	26	00	5.20	81	24	2.50
39	39	25	59	59.00	81	24	7.16
40	40	25	59	45.33	81	24	1.77
41	41	25	59	45.90	81	24	29.70
42	42	25	59	24.99	81	24	34.02
43	43	25	59	12.83	81	24	28.99

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

अवस्थान	अक्षांश	देशांतर
ए	26°1' 27.810" ਤ	81°21' 33.616" पू
बी	26°1' 32.495" उ	81°22' 5.701" पू
सी	26°1' 10.066" उ	81°22' 35.326" पू
डी	26°1' 9.906" उ	81°23' 15.116" पू
ई	26°0' 50.643" उ	81°23' 36.426" पू
एफ	26°0' 37.570" उ	81°24' 11.796" पू
जी	26°0' 17.618" उ	81°24' 37.386" पू
एच	26°0' 4.685" उ	81°24' 59.611" पू
आई	25°59' 10.785" उ	81°25' 6.909" पू
जे	25°58' 48.640" ਤ	81°25' 24.169" पू
के	25°58' 15.944" उ	81°25' 14.983" पू
एल	25°57' 55.250" ਤ	81°24' 45.489" पू
एम	25°57' 46.142" उ	81°23' 58.396" पू
एन	25°57' 43.924" उ	81°23' 23.683" पू
ओ	25°58' 7.893" उ	81°22' 57.151" पू
पी	25°58' 31.144" उ	81°22' 48.272" पू
क्यू	25°58' 57.409" ਤ	81°22' 50.313" पू
आर	25°59' 25.173" उ	81°22' 30.985" पू
एस	25°59' 28.571" उ	81°21' 46.367" पू
टी	25°59' 46.493" ਤ	81°21' 23.345" पू
यू	26°0' 12.487" उ	81°21' 5.136" पू
वी	26°0' 36.807" उ	81°20' 59.667" पू
डब्ल्यू	26°1' 8.078" ਤ	81°21' 8.383" पू

उपाबंध-IV भू-निर्देशांकों के साथ समसपुर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र. सं.	ग्राम	अक्षांश	देशांतर	
1	समसपुर	ਤ 25°58'57.77"	पू 81°25'01.77"	
2	गोदवा हासनपुर	ਤ 25°59'24.70"	पू 81°22'47.57"	
3	ममुनी	ਤ 25°59'50.74"	पू 81°24'46.59"	
4	हौकगंज	ਤ 25°59'03.31"	पू 81°23'24.60"	
5	विसैया	ਤ 6°01'09.55"	पू 81°22'46.11"	
6	सैदपुर	ਤ 26°00'21.36"	पू 81°21'30.52"	

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- 4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
- 5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।

- 6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2018

S.O. 6269(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 253 (E), dated 27th January, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at exz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, Samaspur Bird Sanctuary is located in District Raibareily, Uttar Pradesh, covering an area of 3.0854 sq kms and it is known for its open habitat of large number and variety of migratory and resident birds;

AND WHEREAS, apart from birds, the sanctuary is also home to a variety of flora such as Australian acacia (Acacia auriculiformis), jangal jalebi (Pithecellobium dulce), yellow cassia (Cassia siamea), persign (Melia Azadarach), khabar (Ficus infectoria), red cotton tree (Mombax ceiba), peltoforum (Peltoforum ferruginae), sissoo (Dalbergia sissoo), bringtonia (Barringtoria acutangula), jacaranda (Jacaranda ovalifolia), madhuca (Madhuca indica), emblica (Phyllanthus emblica), vasaka (Ashotoda vasica), panwar (Cassiatora), calotropic (Calotropis procera), kantkari (Solanum xanthocarpum), cockle bur (Xanthium strumarium), luffa (Luffa acutangula), neptunia (Mymosepudica), paspalum (Paspalum distichum), bird's coriander (Mollingo cerviaha), gokhru (Tribulus terrestris), rorripa (Nasturtium indicum), chirchitty (Salsola baryosma), makhi (Phyllanthus reticulatus), salvinia (Salvinia molesta), spirodela (Spirodela polyrhiza), jussiaea (Jussiaea repens); etc. and the faunal species that have a habitat here include large number of migratory birds such as purple heron (Ardea purpurea), little bittern (Ixobrychus minutus), black ibis (Plegadis falcinellus), spotted billed duck (Anas poecilorhyncha), Eurasian wigeon (Abas penelope), crested goshawk (Accipiter trivirgatus), black francolin (Francolinus francolinus), water rail (Rallus aquaticus), little ringed plover (Charadrius dubius), wood snipe (Gallinago nemoricola), river tern (Sterna aurantia), greater coucal (Centropus sinensis), Asian palm swift (Cypsiurus balasiensis), green bee-eater (Merops orientalis), hoopoe (Upupa epops), long tailed shrike (Lanius schach), bar winged flycatcher shrike (Hemipus picatus), green munia (Amandava Formosa), olive backed pipit (Anthus rufulis), striated babbler (Turdoides earlei), thick billed flower pecker (Dicaeum agile), baya weaver (*Ploceus phillippinus*), etc. and various fauna including ground shrew (*Suncus murnius*), jungle cat (*Felis chaus*), fishing cat (Prionailurus viverrinus), fox (Vulpes bengalensis), common yellow bat (Scotophilus heathii), noctule bat (Nyctalus noctula), three striped palm squirrel (Funambulus palmarum), blue bull (Boselaphus tragocamelus), cyclop (Cyclops sp.), Cypris (Curpsi sp.), praying-mantis (Mantis sp.), gnat (Simulium equinum), water scorpion (Panorpa cummunis), dung beetle (Meliocoxpris sp.), large carpenter (Megachile centuncularis), lesser zebra (P Macareus indicus), veined jay (Graphium bathycles chiron), classy tiger (Parantica aglea melanoides), tiger brown (Orinomadamaris), panther (Neurosioma doubledyi doubledayi), etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Samaspur Bird Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of subsection (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 1 km around the boundary of Samaspur Bird Sanctuary in the district of Raibareily of Uttar Pradesh as the Samaspur Bird Sanctuary, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. -

- (1) The extent of Eco-sensitive Zone having uniform 1 km around the Samaspur Bird Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is **22.84 square kilometres**.
- (2) The boundary description of Samaspur Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in Annexure-I.
- (3) The map of the Protected Area demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details, latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II.**
- (4) The list of geo-coordinates of the boundary of Samaspur Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in table A & B of Annexure-III.
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest;
 - (iii) Urban Development;
 - (iv)Tourism;
 - (v) Municipal;
 - (vi)Revenue;
 - (vii) Agriculture;
 - (viii) Uttar Pradesh State Pollution Control Board;
 - (ix)Irrigation; and
 - (x) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by the State Government -** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use. (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

- i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- iii. Small scale industries not causing pollution;
- iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stay; and
- v. Promoted activities given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to re-forest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (1) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(2) Tourism or Eco-tourism.-

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Ecosensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (3) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (4) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (5) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (6) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- (7) Discharge of effluents. Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (8) Solid wastes. -Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
 - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (9) **Bio-medical waste.** Bio medical waste management shall be as under:-

- (a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) Plastic Waste Management. The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (11) Construction and Demolition Waste Management. The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) E-waste. The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (13) Vehicular traffic. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (14) Vehicular Pollution. Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc
- (15) Industrial Units.
 - (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (16) Protection of Hill Slopes. The protection of hill slopes shall be as under:
 - (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
 - (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity		Description	
(1)	(2)		(3)	
		A.	Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a)	All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.	

		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the
		order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter
		of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of
		1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs.
		UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing	No new industries and expansion of existing polluting industries in the
۷.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise,	Eco-sensitive zone shall be permitted.
	etc.).	Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per
	cic.).	classification of Industries in the Guidelines issued by Central
		Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this
		notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be
		promoted.
3.	Establishment of major	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	hydroelectric project.	
4.	Use or production or processing of	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	any hazardous substances.	
5.	Discharge of untreated effluents in	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	natural water bodies or land area.	
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within
		the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one
	and resorts.	kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of
		Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary
		structures for Eco-tourism activities:
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the
		protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is
		nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall
		be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as
0		applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted
		within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or
		upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction
		in their land for their use including the activities listed in sub paragraph
		(1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs
		of the local residents such as:-
		(i) Widening and strengthening of existing roads and construction
		of new roads;
		(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic
		amenities;
		(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per
		Classification done by Central Pollution Control Board of
		February 2016;
		(iv) Cottage industries including village industries; convenience
		stores and local amenities supporting eco-tourism including
		homestays; and
		(v) Promoted activities listed in this Notification:
		Provided that the construction activity related to small scale industries
		not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with
		the prior permission from the competent authority as per applicable
		rules and regulations, if any.
		(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master
		Plan.
10.	Small scale nonpolluting industries.	Nonpolluting industries as per classification of industries issued by the
		Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous,
		small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture

		or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
14.	Use of plastic bags.	Regulated under applicable laws.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Ecosensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
		C. Promoted Activities
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.

31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.-

The Central Government hereby within three months of this Notification constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of final Notification comprising of the following, namely:-

		1
(i)	District Magistrate, Raibareily	Chairman;
(ii)	Superintendent of Police/ Senior Superintendent of Police, Raibareily	Member;
(iii)	Executive Engineer of Public Works Department, Raibareily	Member;
(iv)	Executive Engineer of Irrigation Department, Raibareily.	Member;
(v)	(v) A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government (vi) An expert in Biodiversity nominated by the State Government (vii) One expert in Ecology from reputed institution or university of the State (viii) Wildlife Warden, Endangered Species, Uttar Pradesh, Lucknow (ix) Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, District Raibareily (x) Dy. Conservator of Forest, Hardoi	
(vi)		
(vii)		
(viii)		
(ix)		
(x)		

6. Terms of reference. -

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7.**The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No.25/159/2015-ESZ-RE]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

<u>ANNEXURE- I</u>

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SAMASPUR BIRD SANCTUARY

Boundaries of Protected Area

North:

1.	Village Ataulabad	Agriculture Land
2.	Village Netrampur	Public Area
3.	Village Karemua	Public Area
4.	Village Visaiya	Agriculture Land

South:

1.	Village Rohaniya	Public Area
2.	Village Saidpur	Agriculture Land
3.	Village Hawkganj	Agriculture Land
4	Village Godwahasannur	Public Area

East:

1	Villaga Mamuni	Public Area
1.	Village Mamuni	rubiic Alea
2.	Village Gosai ka purwa	Public Area
3.	Village Shiv Sevak ka purwa	Agriculture Land
4.	Village Naripar	Public Area
5.	Village Paksrawan	Public Area

West:

1.	Village Harikishanpur	Agriculture Land
2.	Village Tikra	Public Area
3.	Village Kushal purwa	Public Area

Boundaries of Eco-sensitive Zone (Boundary 01 Km.)

North:

1.	Village Ataulabad	Agriculture Land
2.	Village Netrampur	Public Area

Village Karemua Public Area
 Village Visaiya Agriculture Land

South:

Village Rohaniya
 Public Area
 Village Saidpur
 Agriculture Land
 Village Hawkganj
 Agriculture Land
 Village Godwahasanpur
 Public Area

East:


Village Mamuni
 Public Area
 Village Gosai ka purwa
 Village Shiv Sevak ka purwa
 Village Naripar
 Village Paksrawan
 Public Area
 Public Area

West:

Village Harikishanpur
 Village Tikra
 Village Kushal purwa
 Agriculture Land
 Public Area
 Public Area

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SAMASPUR BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Samaspur Bird Sanctuary

Sr.No.	Point		Latitude			Longitude	
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second
1	1	25	58	43.30	81	24	45.50
2	2	25	58	37.90	81	24	19.20
3	3	25	58	34.50	81	24	22.60
4	4	25	58	33.30	81	24	28.30
5	5	25	58	26.70	81	24	35.70
6	6	25	58	23.30	81	24	27.10
7	7	25	58	24.10	81	24	19.50

8	8	25	58	16.00	81	24	13.10
9	9	25	58	25.72	81	24	3.78
10	10	25	58	27.80	81	23	53.30
11	11	25	58	30.50	81	23	47.70
12	12	25	58	38.70	81	23	38.50
13	13	25	58	48.10	81	23	33.90
14	14	25	58	56.09	81	23	32.44
15	15	25	59	6.90	81	23	26.20
16	16	25	59	16.00	81	23	21.10
17	17	25	59	24.71	81	23	11.54
18	18	25	59	50.48	81	23	59.67
19	19	25	59	56.92	81	23	0.45
20	20	26	00	4.03	81	23	2.26
21	21	26	00	7.27	81	22	59.43
22	22	26	59	58.21	81	22	16.97
23	23	25	00	0.31	81	21	57.66
24	24	26	00	10.59	81	21	47.56
25	25	26	00	20.43	81	21	40.02
26	26	26	00	25.69	81	21	38.00
27	27	26	00	33.43	81	21	36.27
28	28	26	00	42.06	81	21	35.50
29	29	26	00	59.89	81	21	53.34
30	30	26	00	31.40	81	21	57.13
31	31	26	00	28.60	81	22	25.40
32	32	26	00	34.50	81	22	39.40
33	33	26	00	40.65	81	22	51.27
34	34	26	00	32.91	81	23	1.80
35	35	26	00	23.40	81	23	13.87
36	36	26	00	17.11	81	23	31.68
37	37	26	00	7.64	81	23	48.30
38	38	26	00	5.20	81	24	2.50
39	39	25	59	59.00	81	24	7.16
40	40	25	59	45.33	81	24	1.77
41	41	25	59	45.90	81	24	29.70
42	42	25	59	24.99	81	24	34.02
43	43	25	59	12.83	81	24	28.99

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

LOCATIONS	LATITUDE	LONGITUDE
A	26°1' 27.810" N	81°21' 33.616" E
В	26°1' 32.495" N	81°22' 5.701" E
С	26°1' 10.066" N	81°22' 35.326" E
D	26°1' 9.906" N	81°23' 15.116" E
Е	26°0' 50.643" N	81°23' 36.426" E
F	26°0' 37.570" N	81°24' 11.796" E
G	26°0' 17.618" N	81°24' 37.386" E
Н	26°0' 4.685" N	81°24' 59.611" E
I	25°59' 10.785" N	81°25' 6.909" E

J	25°58' 48.640" N	81°25' 24.169" E
K	25°58' 15.944" N	81°25' 14.983" E
L	25°57' 55.250" N	81°24' 45.489" E
M	25°57' 46.142" N	81°23' 58.396" E
N	25°57' 43.924" N	81°23' 23.683" E
0	25°58' 7.893" N	81°22' 57.151" E
P	25°58' 31.144" N	81°22' 48.272" E
Q	25°58' 57.409" N	81°22' 50.313" E
R	25°59' 25.173" N	81°22' 30.985" E
S	25°59' 28.571" N	81°21' 46.367" E
Т	25°59' 46.493" N	81°21' 23.345" E
U	26°0' 12.487" N	81°21' 5.136" E
V	26°0' 36.807" N	81°20' 59.667" E
W	26°1' 8.078" N	81°21' 8.383" E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SAMASPUR BIRD SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S.No.	Village	Latitude	Longitude
1	Samaspur	N 25°58'57.77"	E 81°25'01.77"
2	Gudwa Hasanpur	N 25°59'24.70"	E 81°22'47.57"
3	Mamuni	N 25°59'50.74"	E 81°24'46.59"
4	Hawkganj	N 25°59'03.31"	E 81°23'24.60"
5	Bisaiya	N 6°01'09.55"	E 81°22'46.11"
6	Saidapur	N 26°00'21.36"	E 81°21'30.52"

Annexure -V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive ZoneMonitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan

- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 - Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.